

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

भाग – I

छात्रावास में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्र संबंधी चैक मिमो वर्ष
(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदन पत्र प्राप्ति क्रमांक : दिनांक : - -

(क) आवेदन पत्र प्राप्त करते समय संलग्न प्रमाण-पत्र पर का निशान लगायें।

1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
3. आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न है।
4. गत वर्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
5. आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

(ख) प्रथम दृष्टया जाँच करने पर आवेदन पत्र पूर्ण / अपूर्ण पाया गया है।

हस्ताक्षर छात्रावास अधीक्षक

भाग – II

निस्तारण प्रमाण-पत्र
(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

निस्तारण का दिनांक :

क्रमांक :

श्री/कुमारी/श्रीमती : (आवेदक का नाम)

पिता/संरक्षक का नाम :

जाति : वर्ग जिससे आवेदक संबंधित है : एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. अन्य

अध्यनरत कक्षा :

उपरोक्त आवेदन पत्र की जाँच कर ली गई है :-

- (क) आवेदन पत्र सही पाया गया है। छात्रावास में आवेदित वर्ग एवं कक्षा में रिक्त स्थान उपलब्ध है, लिहाजा आवेदक को छात्रावास में प्रवेश देने की अभिशंषा की जाती है।
- (ख) आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है, लिहाजा आवेदन पत्र दाखिल दफ्तर किया जाता है।
- (ग) छात्रावास में आवेदित कक्षा एवं वर्ग में स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

हस्ताक्षर छात्रावास अधीक्षक

छात्रावास अधीक्षक की अभिशंषा के आधार पर आवेदक को प्रवेश दिये जाने का अनुमोदन किया जाता है।

हस्ताक्षर जिलाधिकारी

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित छात्रावासों में छात्र/छात्रा (राजस्थान के मूल निवासी) के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

भाग – III

आवेदक का नवीनतम
फोटो

संस्था प्रधान से
प्रमाणित, हस्ताक्षर एवं
सील

1. छात्र/छात्रा का नाम :
2. पिता/संरक्षक का नाम :
3. जन्म तिथि : - - आयु : वर्ष माह
4. वर्ग (संबंधित पर ✓ का निशान लगायें) : एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. अन्य जाति :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी क्रमांक दिनांक संलग्न करें)
5. लिंग : बालक बालिका
6. मातृभाषा : 7. धर्म :
8. आवेदक का पता :
..... पिनकोड
9. बी.पी.एल. चयनित क्रमांक : (यदि आवेदक चयनित परिवार का है)
10. विकलांगता (यदि आवेदक विकलांग है) : विकलांगता की श्रेणी प्रतिशत :
11. कक्षा (जिसमें वर्तमान में अध्ययनरत है) :
12. स्वयं के निवास स्थान के 5 कि.मी. क्षेत्र में स्थित समकक्ष विद्यालय का नाम : (यदि कोई हो)
13. उपरोक्त 12 की सूचना हाँ में होने की स्थिति में उस विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने का कारण :
14. छात्रावास से आवेदक के निवास स्थान की दूरी : कि.मी.
15. गत वर्ष किसी भी माध्यम से प्राप्त छात्रवृत्ति का विवरण (यदि कोई हो) :
16. गत वर्ष आवास की व्यवस्था : राजकीय छात्रावास अन्य छात्रावास
अन्यत्र
17. क्या आवेदित छात्रावास में पूर्व में भी निवास किया है ? (यदि हाँ, तो विवरण एवं पूर्व में छात्रावास छोड़ने का कारण अंकित करें।) :
18. क्या छात्रवृत्ति या अन्य आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया गया है ? (यदि हाँ, तो विवरण दें।) :

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं/संलग्न दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य एवं सही हैं। मैं छात्रावास में आवास के दौरान किसी भी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/ राजनीति आदि में भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं अध्ययन में पूर्ण ध्यान दूंगा/दूंगी एवं छात्रावास/विद्यालय में मेरा आचरण उत्तम रहेगा।

उपरोक्त के अभाव में बिना किसी पूर्व सूचना के मुझे छात्रावास सुविधा से वंचित किये जाने का विभाग को अधिकार होगा एवं इस संबंध में होने वाली आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

भाग – IV

शैक्षणिक संस्था से संबंधित विवरण

(शैक्षणिक संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा भरा जावे)

1. शैक्षणिक संस्था का नाम :
2. शैक्षणिक संस्था का पता :
.....
..... पिनकोड
3. छात्र/छात्रा का नाम :
4. आवेदक का पता :
.....
..... पिनकोड
5. वर्ग (संबंधित पर ✓ का निशान लगाये) : एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. अन्य जाति :
6. जन्म तिथि (कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार) : - - आयु : वर्ष माह
7. वर्तमान शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि : - -
8. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आवेदक के प्रवेश की तिथि : - -
9. आवेदक द्वारा गत वर्ष किये गये : पाठ्यक्रम
अध्ययन का पाठ्यक्रम एवं कक्षा कक्षा
10. वर्तमान प्रवेशित पाठ्यक्रम एवं कक्षा : पाठ्यक्रम
कक्षा
11. पाठ्यक्रम की अवधि :
12. आवेदित विद्यार्थी के गत वर्ष अनुत्तीर्ण होने का विवरण (यदि हो) : कक्षा :
अनुत्तीर्ण विषय : (अ)
(ब)
(स)
13. क्या पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त है ? : हाँ नहीं यदि हाँ, तो किस संस्था द्वारा

12. गत वर्ष की परीक्षा में विषयवार प्रतिशत : परीक्षा का नाम :
प्राप्तांक परीक्षा की तिथि : - -

विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
योग :-		

13. अपने निवास स्थान से बाहर छात्रावास में :
प्रवेश का प्रयोजन
.....
14. छात्र के चरित्र एवं आचरण के संबंध में :
सामान्य टिप्पणी (यदि आवेदक गत वर्ष अन्य
संस्था में अध्ययनरत रहा है, तो उस संस्था प्रधान
द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
.....

उपरोक्त सूचना कार्यालय रिकॉर्ड एवं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सत्य है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

स्थान :

दिनांक :

शपथ-पत्र का प्रारूप

(रुपये 10 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

मैं पुत्र/पुत्री
जाति आयु वर्ष, निवासी
.....
शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित के
छात्रावास प्रवेश हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतया सत्य हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि
पाई जाती है, तो मेरे पुत्र/पुत्री को बिना पूर्व सूचना के छात्रावास से निकाले जाने का सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग को पूर्ण अधिकार होगा एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने हेतु की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के
लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
पिता/माता/पति/अभिभावक

(उक्त शपथ पत्र नॉटरी पब्लिक/ओथ कमीश्नर से तस्दीक होना चाहिए)

आय प्रमाण-पत्र का प्रारूप

1. पिता/पति/माता/अभिभावक का विवरण :
- अ) पिता का नाम :
- ब) माता का नाम :
- स) अभिभावक का नाम :
2. माता/पिता जीवित नहीं होने की स्थिति में : माता : - -
- मृत्यु की दिनांक : पिता : - -
3. वर्ग (संबंधित पर ✓ का निशान लगायें) : एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. जाति :

4A. परिवार की आय का विवरण (गत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वार्षिक आय) :

(अ) कृषि भूमि का विवरण :	<u>विवरण</u>	<u>प्राप्त वार्षिक आय (रुपयों में)</u>
(1) सिंचित क्षेत्रफल
(2) असिंचित क्षेत्रफल
(3) गाँव का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है
(4) कृषि भूमि से कुल आय
(ब) भूमि/भवन से आय : (किराये की आय)
(स) व्यवसाय से आय :
(द) वेतन से आय :
(य) पेंशन से आय :
(सेवानिवृत्ति की तारीख अंकित करें)
(र) अन्य आय :
परिवार की कुल आय :

5. आवेदक का वर्तमान पता	आवेदक का स्थायी पता
मकान नं. एवं मोहल्ला	मकान नं. एवं मोहल्ला
गाँव का नाम	गाँव का नाम
तहसील	तहसील
जिला	जिला
निकटतम पोस्टऑफिस	निकटतम पोस्टऑफिस

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि आय के संबंध में प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना सही है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)
(यह प्रमाणीकरण तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकेगा)

सामान्य निर्देश

1. छात्रावास में गत वर्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं को पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे छात्र/छात्रा को स्वतः पुनः प्रवेशित माना जायेगा। ऐसे छात्र/छात्रा के संबंध में छात्रावास अधीक्षक शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के 15 दिन में जाँच करेगा एवं अन्यथा अपात्र पाये जाने पर छात्रावास अधीक्षक ऐसे छात्र/छात्रा को छात्रावास सुविधा से वंचित करने की नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
2. गत वर्ष अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के स्वतः प्रवेशित होने के पश्चात् उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के अधिकतम 15 दिवस तक संबंधित छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक को आवेदन किया जा सकेगा। छात्रावास अधीक्षक/जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदनों का शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण कर छात्रावास में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 30 दिवस पश्चात् अगले 5 दिवस में छात्रावास अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से छात्रावास में शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में कक्षावार उपलब्ध स्थान, स्वतः प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूचना, नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूचना एवं शेष रिक्त स्थान (यदि हों) की सूचना आवश्यक रूप से निदेशालय को प्रेषित करेगा। शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिवस के पश्चात् आवेदनों के संबंध में निदेशालय से पूर्वानुमति लेकर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
3. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के समस्त कॉलम को सुस्पष्ट भरा जायेगा एवं कोई कांट-छांट होने पर लघु हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किसी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र में कांट-छांट होने पर जारी करने वाले अधिकारी के कांट-छांट पर लघु हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में वह प्रमाण पत्र/दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण कर मय संलग्नक संबंधित छात्रावास अधीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के सही पाये जाने पर छात्रावास अधीक्षक ऐसे आवेदन पत्र को प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज कर प्रवेश संबंधी आगामी कार्यवाही करेगा।
5. विभाग द्वारा अधिकृत आय प्रमाण-पत्र का प्रारूप ही मान्य होगा। अन्य प्रारूप में जारी किया गया आय प्रमाण पत्र छात्रावास में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। यह प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 3 माह से पूर्व का नहीं होना चाहिये।
6. यदि पिता/संरक्षक राजकीय/लिमिटेड क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए विभाग द्वारा अधिकृत प्रारूप में तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाये।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे। अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र, जो छः माह से पूर्व जारी नहीं हो, ही मान्य होगा। जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं स्थान, प्रमाण-पत्र क्रमांक एवं दिनांक आवेदन पत्र के भाग-III के बिन्दु-4 में अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की फोटो कॉपी आवश्यक रूप से प्रमाणित होनी चाहिए। अप्रमाणित फोटो प्रति किसी भी प्रयोजनार्थ मान्य नहीं होगी।
9. आवेदक का प्रवेश छात्रावास संचालन हेतु जारी नियम एवं समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अधीन होगा।